



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221746
CG-DL-E-16092020-221746

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2806]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942
No. 2806]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का. आ. 3154(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3575 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 380/600 कि.मी. से 432/650 कि.मी. तक के भूखण्ड (चिलकलूरीपेट - विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने / छह लेन बनाने आदि), अनुसंरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 31 अक्टोबर, 2019 को "दि हिंदु (अंग्रेजी)" और "साक्षी" (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के कि.मी. 380/600 कि.मी. से 432/650 कि.मी. तक के भूखण्ड (चिलकलूरीपेट - विजयवाड़ा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: गुंटूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पेद्दाकाकानी				
	गांव का नाम: पेद्दाकाकानी				
1	447/2	निजी	ड्राई	0.0453	1) थिम्मापुरम चन्द्र शेकरा रेड्डी 2) आवुला वेंकटा कृष्ण रेड्डी 3) आवुला मधुसूधना रेड्डी (447/२ए२)
2	447/2	निजी	ड्राई	0.0115	पामर्थी आंजनेयुलु (447/२ए३)
3	479/2	निजी	ड्राई	0.0006	देववरपु पवन पुत्र रामा मोहना राव (479/२ए१)
4	479/2	निजी	ड्राई	0.0025	शेक रेहमतुल्लाह साहब पुत्र हानिश साहब

					(479/२ए२)
5	479/2	निजी	ड्राई	0.0046	शैक रशीद पुत्र पहमतुल्लह साहब (479/२ए३)
6	479/2	निजी	ड्राई	0.0042	लेआउट रोड (479/2ए4)
7	479/2	निजी	ड्राई	0.003	नूरजहान बेगम पत्नी रहमतुललह साहब (479/२ए५)
8	479/2	निजी	ड्राई	0.003	शैक सहीनज परवीन पुत्र कलगाटल सिददु हुसैन (479/२ए६)
9	479/2	निजी	ड्राई	0.003	शैक रज़िया बेगम पत्नी शैक रशीद (479/२ए7)
10	479/2	निजी	ड्राई	0.003	शैक असलम बेगम पत्नी मोहम्मद रियाज़ अंसारी (479/२ए८)
11	479/2	निजी	ड्राई	0.003	शैक परवीन बाबी पत्नी शैक सलाम (479/२ए९)
12	479/2	निजी	ड्राई	0.003	सरताज अदमुन्निसा बेगम पत्नी इमाम (479/२ए१०)
13	479/2	निजी	ड्राई	0.0173	यररा राजेश पुत्र नागेस्वरा राव (479/२ए११)
14	479/2	निजी	ड्राई	0.0134	वीरवल्ली वरदय्या पुत्र अनंथा रामय्या (479/२ए१२)
15	479/2	निजी	ड्राई	0.0037	लेआउट रोड (479/२ए१३)
16	479/2	निजी	ड्राई	0.0066	महाराज (लेट) (479/२ए१४)
17	479/2	निजी	ड्राई	0.0067	शैक रहमतुल्ला साहब पुत्र हानिफ साहब (479/२ए१५)
18	930/A1	निजी	ड्राई	0.0062	पी. पारसुरामय्य

					(930/ए१बी१)
19	930/A1	निजी	ड्राई	0.0149	के. संबासिवा राव (930/ए१बी३)
20	979/1A1	निजी	ड्राई	0.0181	सेंट्रल वैरहाउसिंग गोडाउन (979/1ए१बी)
21	979/1B1	निजी	ड्राई	0.0313	पुववाडा नागेस्वरा राव पुत्र बालय्य (979/१बी१बी)
22	979/2A	निजी	ड्राई	0.0302	मादला राजेंद्र राव पुत्र नागेस्वरा राव (979/2ए२ए)
23	979/2A	निजी	ड्राई	0.0426	हिन्दू कॉलेज (979/2ए२बी)
			कुल	0.2777	

[फा. सं. NHAI/15021/6-lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3154(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3575 (E), dated the 26th September, 2019, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No.16 on the stretch of land from Km.380/600 to Km.432/650 (Chilakaluripet – Vijayawada Section) in District Guntur in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu (English)”, and “Sakshi (Telugu)”, both dated 31st October 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.380/600 to Km.432/650 (Chilakaluripet - Vijayawada section) on the National Highways No.16 in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: GUNTUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Peddakakani				
	Village: Peddakakani				
1	447/2	Private	Dry	0.0453	1) Thimmapuram Chandra Sekhara Reddy 2) Avula Venkata Krishna Reddy 3) Avula Madhusudhana Reddy 447/2A2
2	447/2	Private	Dry	0.0115	Pamarthi Anjaneyulu 447/2A3
3	479/2	Private	Dry	0.0006	Devavarapu Pavan S/o Rama Mohana Rao 479/2A1
4	479/2	Private	Dry	0.0025	Shaik Rehamatullah Saheb S/o Hanish Saheb 479/2A2
5	479/2	Private	Dry	0.0046	Shaik Rasheed S/o Pahamtullah Saheb 479/2A3
6	479/2	Private	Dry	0.0042	Layout Road 479/2A4
7	479/2	Private	Dry	0.003	Nurjahan Begum W/o Rahamtullah Saheb 479/2A5
8	479/2	Private	Dry	0.003	Shaik Sahinaj Parwin S/o Kalagatla Siddu Hussain 479/2A6
9	479/2	Private	Dry	0.003	Shaik Rajiya Begum W/o Shaik Rasheed 479/2A7
10	479/2	Private	Dry	0.003	Shaik Aslam Begum W/o Mohammad Riyaz Ansari 479/2A8
11	479/2	Private	Dry	0.003	Shaik Parwin Babi W/o Shaik Salam 479/2A9
12	479/2	Private	Dry	0.003	Sartaz Adamunnisa Begum W/o Imam 479/2A10

13	479/2	Private	Dry	0.0173	Yarra Rajesh S/o Nageswara Rao 479/2A11
14	479/2	Private	Dry	0.0134	Veeravalli Varadaiah S/o Anantha Ramaiah 479/2A12
15	479/2	Private	Dry	0.0037	Lay out Road 479/2A13
16	479/2	Private	Dry	0.0066	Maharaj (Late) 479/2A14
17	479/2	Private	Dry	0.0067	Shaik Rahamtullah Saheb S/o Hanif Saheb 479/2A15
18	930/A1	Private	Dry	0.0062	P. Parasuramaiah 930/A1B1
19	930/A1	Private	Dry	0.0149	K. Sambasiva Rao 930/A1B3
20	979/1A1	Private	Dry	0.0181	Central Warehousing Godown 979/1A1B
21	979/1B1	Private	Dry	0.0313	Puvvada Nageswara Rao S/o Balaiah 979/1B1B
22	979/2A	Private	Dry	0.0302	Madala Rajendra Prasad S/o Nageswara Rao 979/2A2A
23	979/2A	Private	Dry	0.0426	Hindu College 979/2A2B
			TOTAL	0.2777	

[F. No. NHAI/15021/6-lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.